



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 02, बुधवार, शाके 1939-फरवरी 21, 2018
Phalguna 02, Wednesday, Saka 1939-February 21, 2018

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 21, 2018

एस.ओ.304 :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग, और व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित उपापन संस्थाओं के समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ डी/जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम संख्यांक 47 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में, विद्यमान मद संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नई मद संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"7 एन.टी.पी.सी.लिमिटेड, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ. सी.), रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) और पावरग्रिड की संयुक्त उद्यम कम्पनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.)।"

[एफ.2(1) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मंजू राजपाल,

शासन सचिव।

**FINANCE (G&T) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, February 21, 2018

S.O.304 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central and the State Government, utilization of the resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government and the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)FD/ GF&AR/2011, dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In column number 3 against serial number 47 of table of the said notification, after the existing item number 6 and entries thereto, the following new item number 7 and entries thereto shall be added, namely:

"7 Energy Efficiency Services Limited (EESL), a joint venture company of NTPC Limited, Power Finance Corporation (PFC), Rural Electrification Corporation Limited (REC) and POWERGRID."

[No. F.2(1)FD/SPFC/2017]

By Order of the Governor,

Manju Rajpal,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.